मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2010

क्रमांक एफः 14–1/2009/बयालीस(2) राज्य शासन एतद्द्वारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रदेश में मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में **"मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्" (Madhya Pradesh Council for Vocational Education and Training)** की तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था के रूप में स्थापना करने की अनुमति प्रदान करता है, जो कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी होगी। परिषद् का मुख्यालय भोपाल में होगा एवं जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

2/ परिषद् की साधारण सभा एवं संचालक मंडल निम्नानुसार होगाः–

(अ) साधारण सभा–

अध्यक्ष	1	माननीय मुख्यमंत्री जी
उपाध्यक्ष	2	माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
	3	माननीय मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
सदस्य	4	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
	5	प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
	6	प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
	7	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग
	8	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
	9	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग
	10	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
	11	प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	12	प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग
	13	प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
	14	प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग
	15	प्रमुख सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
	16	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास
	17	सी.ई.ओ. क्रिस्प
		उद्योगों के मध्यप्रदेश चेप्टर के प्रतिनिधि
	18	कॉन्फेडरेशन आफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज
	19	पी.एच.डी.चेम्बर ऑफ कॉमर्स
	20	फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
	21	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ
सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी	22	संचालक, प्रशिक्षण मध्यप्रदेश

(ब) संचालक मण्डल –

अध्यक्ष	1	माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
उपाध्यक्ष	2	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
सदस्य	3	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
	4	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
	5	आयुक्त, आदिवासी विकास
	6	आयुक्त, उद्योग
	7	आयुक्त, स्कूल शिक्षा
	8	बड़े सार्वजनिक उपक्रम का एक प्रतिनिधि
	9	उद्योग संघों का एक प्रतिनिधि
	10	सी.ई.ओ. क्रिस्प
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सदस्य सचिव	11	संचालक, प्रशिक्षण मध्यप्रदेश

3/ परिषद् को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होगा एवं कार्यों के संचालन के लिए नियम एवं विनियम बनाने तथा आदेश जारी करने की शक्तियां होंगी। प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए परिषद् को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी एवं इसके उपरान्त प्रमाणीकरण फीस, परीक्षा फीस, संबद्धता फीस, पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन सामग्री के विक्रय, सलाहकार सेवाएं आदि से आय अर्जित कर स्वयं की आय से संचालित होगी।

4/ परिषद् राज्य के शासकीय/अशासकीय सेक्टर में उपलब्ध ऐसी कोई भी अधोसंरचना जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण को संचालित करने में किया जा सकता है, को सूचीबद्ध कर उन्हें प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने का दायित्व सौंप सकेगी। इसके अतिरिक्त परिषद् विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय एजेंसियां, संस्थाएं, जो कि व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदाय करने का एक बड़ा स्त्रोत हैं तथा असंगठित क्षेत्र द्वारा संचालित प्रशिक्षण को निर्धारित ढांचे में मानदंडों के अनुरूप शामिल कर कौशल परीक्षण तथा प्रमाणीकरण का कार्य व्यापक रूप से करेगी। परिषद् स्किल डेवलपमेंट की रणनीति के तहत किसी भी व्यक्ति के ज्ञान और स्किल्स के टेस्टिंग तथा प्रमाणीकरण की व्यवस्था के माध्यम से परिवर्तित करने तथा उन्हें भविष्य में उच्च डिप्लोमा एवं डिग्री प्रदान करने हेतु मान्य किये जाने की योजना भी बनायेगी।

परिषद् की जिला स्तर पर रोज़गार एवं प्रशिक्षण के अधिक अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। परिषद् विभिन्न विभागों के सक्रिय सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में मांग आधारित प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रयास करेगी एवं नवीन विधाओं में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार तथा प्रशिक्षण सामग्री आदि के निर्माण का कार्य भी करेगी। परिषद् के विस्तृत उद्देश्य एवं उसके स्वरूप की रूपरेखा परिशिष्ट–एक अनुसार है।

5/ **"मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्"** पूर्व से संचालित राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् का कार्य भी संपादित करेगी एवं इसके गठन के फलस्वरूप राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एससीवीटी) का पृथक से अस्तित्व नहीं होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की टीप क्रमांक सीआर 41/2010/ब–3/चार दिनांक 25.1.2010 के द्वारा दी गई सहमति पर आधारित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जयदीप गोविन्द) 19/4/10
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

पृष्ठां. क्र. एफः 14–1/2009/बयालीस(2) भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सचिव, मान. मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग।
4. निज सचिव, मान. मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग।
5. निज सचिव, मान. राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग।
6. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल दिनांक 4 अप्रैल, 2010 के मंत्रि परिषद् के आदेश के संदर्भ में।
7. उप सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल।
8. महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, नर्मदा भवन, भोपाल।
9. परिषद की साधारण सभा/संचालक मण्डल के समस्त सम्माननीय सदस्य .....।
10. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
12. सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल, विंध्याचल भवन, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर।
14. संचालक, प्रशिक्षण, मध्यप्रदेश जबलपुर को इस निर्देश के साथ कि परिषद् के पंजीयन हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।
15. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
17. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी, विंध्याचल भवन, भोपाल।
18. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की 500 प्रतियां मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) में प्रकाशित कराकर विभाग को भेजें।
19. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय, भोपाल।

(शमीम उद्दीन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग